प्रेषिका,

अन्जू काम्बोज,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।

विषयः– श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, मेरठ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रदत्त वार्षिक गोपनीय टिप्पणी के सम्बंध में प्रतिवेदन।

महोदय,

सादर निवेदन है कि दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा ई सर्विसिज पोर्टल पर श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, मेरठ द्वारा प्रदत्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अवलोकन किया गया, जिसके सम्बंध में मेरा प्रतिवेदन निम्नलिखित हैः–

1. इस गोपनीय टिप्पणी के पैरा–1(a,b,c,d,e,f,f(i)(ii),g,h,i,j,k,l,m,n) व 2,3,4 के विषय में मुझे कोई कथन नही करना है।

2. इस गोपनीय टिप्पणी के पैरा–1 (f)(iii) में मेरे द्वारा दाखिल निर्णयों में किसी विधि व्यवस्था का कोई उल्लेख ना किये जाने का कथन अंकित किया गया है जबकि मेरे स्वनिर्धारण प्रपत्र के साथ सलग्न निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मनोज अरोरा के पृष्ठ 42 व 43 पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा R/Special Civil Application No. 8669/2020 Dt, 4-8-2020 सुन्दीप महेन्द्र कुमार सांघावी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में स्वनिर्धारण प्रपत्र के साथ सलंग्न निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मनोज अरोरा के पृष्ठ 42 व 43 की छायाप्रति सलंग्नक–1 के रूप में श्रीमान् जी, के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मेरे द्वारा स्वनिर्धारण प्रपत्र के साथ सलग्ंन निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मनोज अरोरा के पृष्ठ 42 व 43 पर उपरोक्त विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

अतः विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2020–2021 की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी के कालॅम संख्या पैरा–1(f)(iii) की प्रविष्टि के सन्दर्भ में उपरांकित स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक मानते हुए इस प्रविष्टि को प्रतिकूल न मानने की कृपा की जाये।

सादर निवेदन है कि मेरे वर्तमान प्रतिवेदन को सहानूभूतिपूर्वक विचार हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

यदि उपरोक्त स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन प्रेषित करने में कोई विलम्ब कारित हुआ है तो उसे क्षमा करने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांकः 18.12.2021

भवदीया,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(अन्जू काम्बोज)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मेरठ।
आई0डी0 नं0 यू.पी.– 1775

Anju Kamboj

Digitally signed by Anju Kamboj
DN: c=IN, st=Uttar Pradesh, 2.5.4.20=41744117eac170d246aca7ed254caf5e90069354289dfa6c3fd47c1d9ae9bbba, postalCode=250001, street=CIVIL COURTS, MEERUT D170 SHASTRI NAGAR, serialNumber=0cb0c3099904f6d065866ccf2041385c499cbc2e6c27e8cad90ba8e29cb37e9f, ou=CIVIL JUDGE, o=ALLAHABAD HIGH COURT, cn=Anju Kamboj
Date: 2021.12.18 14:56:27 +05'30'

होता था। परिवादी साक्षी पी0 डब्लु03 पीयूष मिश्रा द्वारा अपनी साक्ष्य में पंचनामा दिनांकित 15.3.2017/16.3.2017 को, अभियुक्त मनोज कुमार अरोडा के गिरफ्तारी मीमो दिनांकित 16.3.2017 को साबित किया है। परिवादी साक्षी पी0 डब्लु04 संजय कुमार अरोडा द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त मनोज कुमार अरोडा के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा–14 के अर्न्तगत सुप्रीन्टेन्डेन्ट एन्टीइवेजन नोएडा के समक्ष अंकित बयान को साबित किया है। परिवादी साक्षी सं0 5 मुकेश चन्द खडकवाल द्वारा शनी एक्सप्रेस ट्रान्सपोर्ट सर्विस के परिसर में बनाया गया पंचनामा दिनांकित 16.3.2017, शनी एक्सप्रेस ट्रान्सपोर्ट सर्विस के सुपरवाईजर सोमपाल सिंह उर्फ सोमबीर सिंह का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा–14 के अर्न्तगत अंकित बयान दिनांकित 16.3.2017 व 24.3.2017 को साबित किया। परिवादी साक्षी सं0 6 लवली कुमार दूबे ने अपनी साक्ष्य में अथोराईजेशन लैटर दिनांकित 15.3.2017, बरामद माल की सूची, सुपुर्दगीनामा दिनांकित 15.3.2017, मशीनो की स्पीड चैक करने के बाद पुनः बनाये गये पंचनामा दिनांकित 16.3.2017, दिनांक 28.6.2018 को उक्त माल को इदरीश द्वारा जी0 एस0 टी0 विभाग कमिशनरेट जी0 बी0 नगर को वापस किये जाने के सम्बन्ध में पंचनामा दिनांकित 28.6.2018 तथा उपरोक्त मामले से सम्बन्धित माल को वस्तु प्रदर्श–1 लगायत 275 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। परिवादी साक्षी सं0 7 विनोद कुमार गोयल द्वारा प्लाट सं0 48 में पायी गयी 6 मशीनो में से 2 मशीनो जिन पर अंकन 4/– रूपये प्रति पाउच तथा अंकन 1/– रूपये वाली पाउच का रोल लगा हुआ था, को चलाकर उनकी स्पीड की जांच की गयी तथा उसके सम्बन्ध में बनायी गयी रिपोर्ट को साबित किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा–9 डी (1) ए में यह प्राविधानित किया गया है कि

"A statement made and signed by a person before any Central Excise Officer of a Gazetted rank during the course of any inquiry or proceeding under this Act shall be relevant, for the purpose of proving, in any prosecution for an offence under this Act, the truth of the facts which it contains....when the person who made the statement is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the Court considers unreasonable."

माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा R/Special Civil Application No. 8669/2020 Dt, 4-8-2020 सुन्दीप महेन्द्र कुमार सांघावी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

में यह अवधारित किया गया है कि–

Intelligence Officers are proper officers. They are not the police officers. Central Excise Commissionerates were assigned the functions of the proper officer.

As the customs/DRI officers are not the police officers, The statements made to them are not inadmissible under section 25 of the Evidence Act.

इस प्रकार विभाग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा–14 के अर्न्तगत अंकित गवाहों के बयान उपरोक्त प्रावधान एवं विधि व्यवस्था के आलोक में साक्ष्य में ग्राह्य है। जिनके द्वारा इस तथ्य को सिद्ध किया गया है कि प्लाट सं0 48 फेज–1, इकोटैक–।।।, ग्रेटर नोएडा पर 6 पान मसाला पाउच पैकिंग मशीने स्थापित पायी गयी तथा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं पान मसाला व सुंगधित जर्दा तम्बाकू का अवैध रूप से उत्पादन एवं परिवहन होता पाया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा दिनांकित 15.3.2017 में यह अंकित है कि दिनांक 15.3.2017 को प्लाट सं0 48 फेज–1 इकोटैक–।।। ग्रेटर नोएडा पर की गयी सर्च के दौरान बिना सिल्ड 6 पान मसाला पाउच मशीने स्थापित पायी गयी। 6 पान मसाला के अतिरिक्त दो आउटर पैकिंग मशीन, एक बैग सिलिंग मशीन, एक बडी तराजू, एक छोटी तराजू, एक मिक्सचर टब भी परिसर में पाये गये। मै0 पूर्वी पान मसाला प्रा0 लि0 द्वारा अवैध तरीके से प्लाट सं0 48 फेज–1 इकोटैक–।।। ग्रेटर नोएडा से उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुएं पान मसाला व सुगन्धित जर्दा तम्बाकू का निर्माण किया जा रहा था।

प्रस्तुत मामले में मनोज कुमार अरोडा को मै0 पूर्वी पान मसाला प्रा0 लि0 की गतिविधियों का संचालक होना कहा गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा–14 के अर्न्तगत अभियुक्त के बयान दिनांकित 15.3.2017 में यह स्वीकार किया गया कि वह स्वंय व स्वर्गीय राजवीर शर्मा मै0 पूर्वी पान मसाला के संस्थापक निदेशक थे। अप्रैल 2016 में पी0 एन0 मिश्रा व शैलेष त्रिपाठी नये निदेशक बने। परन्तु मनोज कुमार अरोडा सलाहकार की भूमिका में कम्पनी की गतिविधियो का नियंत्रण/संचालन करते रहे। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि मै0 पूर्वी पान मसाला प्रा0 लि0, वृन्दा ग्रुप ऑफ कम्पनीज की प्रमुख कम्पनी है, जिसका वह चेयरमैन है। मै0 पूर्वी पान मसाला प्रा0 लि0 में अभियुक्त मनोज कुमार अरोडा 99 प्रतिशत का शेयरधारक है। इस प्रकार कम्पनी की सभी गतिविधियो पर मनोज कुमार अरोडा का ही एक मात्र नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा–14 के अर्न्तगत सपना अरोडा के बयान दिनांकित 23.3.2017 में उसके द्व